न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 43 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांटस

1. मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री आरबखां
2. अमीनखां पुत्र श्री आरबखां
3. उमरदीन पुत्र श्री आरबखां
4. मेहबूबखां पुत्र श्री आरबखां
5. सदीकखां पुत्र श्री आरबखां जातियान मुसलमान निवासी घडोई चारणान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
6. रहमता पुत्री श्री आरबखां पत्नी रमजानजी जाति मुसलमान निवासी समदडी जिला बाड़मेर
7. जुहारो पुत्री श्री आरबखां पत्नी रमजानजी जाति मुसलमान निवासी थोब तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

1. मृतक फातमा बानो पुत्री मिसराजी पत्नी रावतखांजी जाति मुसलमान निवासी मोयजो का वास पारलू तहसील पचपदरा जिला वाड़मेर के कायम मुकामः— 1 / 1हनीखां पुत्र रावतखां जाति मुसलमान निवासी पारलू तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. हाजरो बानो पुत्री मिसराजी पत्नी उमरदीनजी जाति मुसलमान निवासी मोयलो का वास पारलू तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
4. सखाराम पुत्र मगनाजी जाति रावणा राजपूत निवासी असाडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
5. रावणा राजपूत अध्यक्ष श्री अनोपदास महाराज, आश्रम रावणा राजपूत समाज असाडा
6. जेना बेवा सुबाना
7. हबासखां पुत्र सुबाना
8. फरीदखां पुत्र सुबाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	9. जविया पुत्री सुवाना 10. रूखसाना पुत्री सुवाना 11. फकीरखां पुत्र सुवाना 12. रमजानखां पुत्र सकुरिया जातियान मुसलमान निवासी असाडा 13. खंगारसिंह पुत्र हाजरा जाति रावणा राजपूत निवासी असाडा 14. विमलकुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2017 बअनवान मृतक फातमा बनो के कायम मुकाम वगे. बनाम राजस्थान सरकार वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दिलीपसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—30.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता मसरिया पुत्र हडमता का देहान्त आज से करीब 12 वर्ष पहले हो गया। मिसरिया पुत्र हडमता के विधिक वारिस वादीगण फातमा बानो व हाजरा बानों हैं। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 376 रकबा 54.11 बीघा मौजा पोशाल नगर पटवार हल्का असाडा में मिसरिया पुत्र हड़मता का उक्त आराजी में हिस्सा 364/1091 कब्जा काश्त खातेदारी का रहा तथा शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 है, का है, तथा आगे वाद पत्र में यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 सह खातेदारान होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण अनपढ व घरेलू कामकाजी महिला है उनके द्वारा हल्क पटवारी असाडा को बार बार लिखित में निवेदन कर सूचित किया गया कि वादीगण के पिता मिसराजी का देहान्त हो चुका है तथा मिसराजी के स्थान पर उनका नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा फौतदगी म्यूटेशन की कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण के निवेदन अनुसार नहीं की गई, जिससे वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। इसलिए हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस ने वाद पत्र में हम अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही हर आम व खास को इस बाबत कोई नोटिस दिया, न ही कानूनी रूप से ऐसे समाचार पत्र में वाद पत्र प्रस्तुति के बाद कोई नोटिस या सम्मन का ही प्रकाशन करवाया तथा बाले बाले उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के हितों के विरूद्ध प्रापत कर वादग्रस्त आराजी में केवल मात्र वादीगण अपना नाम ही उक्त अपीलाधीन निर्णय की पालना में दर्ज करवाने का प्रयास किया, जिसका इल्म तक अपीलांट को नहीं होने दिया। रेस्पोडेंट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद साफ हाथे से पेश नहीं किया गया तथा वास्तविकता का लोप करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेंटस/वादीगण को यह बखूबी जानकारी थी कि स्व. मिसराजी के तीन पुत्रीया यानि बड़ी पुत्री शहिदा बानो, जो अपीलांट की माता है। अपीलाधीन आराजी में वादीगण के साथ अपीलांटस शहिदा बानों के वारिसान का भी 1/3 हिस्सा है। अपीलांट की माता शहिदा बानो का देहान्त दिनांक 14.11.1998 को हुआ। चूंकि अपीलाधीन आराजी अपीलांट को रेस्पोडेंटस/वादीगण के साथ साथ बहिस्सा बराबर में विरासत की सम्पति के रूप में अर्जित हुई है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण के पिता मसरिया पुत्र हडमता का देहान्त आज से करीब 12 वर्ष पहले हो गया। मिसरिया पुत्र हडमता के विधिक वारिस वादीगण फातमा बानो व हाजरा बानों हैं। वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूमि खसरा संख्या 376 रकबा 54.11 बीघा मौजा पोशाल नगर पटवार हल्का असाडा में मिसरिया पुत्र हड़मता का उक्त आराजी में हिस्सा 364/1091 कब्जा काश्त खातेदारी का रहा तथा शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 है, का है, तथा आगे वाद पत्र में यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 सह खातेदारान होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण अनपढ व घरेलू कामकाजी महिला है उनके द्वारा हल्क पटवारी असाडा को बार बार लिखित में निवेदन कर सूचित किया गया कि वादीगण के पिता मिसराजी का देहान्त हो चुका है तथा मिसराजी के स्थान पर उनका नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा फौतदगी म्यूटेशन की कार्यवाही वादीगण के निवेदन अनुसार नहीं की गई, जिससे वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। अपीलांट संख्या 01 से 07 किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम मिसराजी का पुत्र/पुत्री है तथा न ही माता का नाम लिखा है। वाद में वर्णित परिवार मुस्लिम विधि से शासित है। जिसमें खातेदार की मृत्यु होने पर मोहम्मडन लॉ लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम आवेदन अन्तर्गत धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता पर आदेश पारित करना न्यायोचित होगा। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में प्रथमतया सिधा हक निहित है, चूंकि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को रेस्पोडेंटस/वादीगण के साथ बहिस्सा बराबर में विरासत की सम्पति के रूप में अर्जित हुई है, मात्र रेस्पोडेंटस/वादीगण के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष पक्षकार नहीं बनाने मात्र से अपीलांट के हक हकूको का किसी प्रकार से लोप नहीं होता है तथा अपीलांट प्रभावी व पिड़ित पक्ष होने से एवं उक्त निर्णय व डिक्री से सिधे प्रभावित होने से एवं उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट के हको के विरूद्ध होने से अपील अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी के तहत अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से पिड़ित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांटस को हस्तगत अपील पेश करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र 96 सी पी सी खारिज किया जाकर अपील को इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांटस मिसराजी की पुत्री शहिदों के वारिसान की हैसियत से अपील पेश की गई। अपील के साथ पेश दस्तावेजात में शहिदों के पिता का नाम मिसरे खां अंकित है। जिसके विरूद्ध में रेस्पोडेंटस ने कोई कथन नहीं किया गया। लिहाजा अपीलांट पिड़ित एवं प्रभावित पक्षकार ठहरता है तथा उसकी अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का अवसर दिया जाना लाजमी है। अपीलांटस द्वारा धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के संलग्न शपथ–पत्र पर विश्वास कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटस मिसराजी की पुत्री शहिदों के वारिसान की हैसियत से अपील पेश की गई। अपील के साथ पेश दस्तावेजात में शहिदों के पिता का नाम मिसरे खां अंकित है। अपीलांटस के पक्ष में रमजानखां पुत्र सकुरखा, शकीना/इब्राहीमखां, पीरूखां/इब्राहीमखां, मोहम्मद खां/फकीरखां ने शपथ–पत्र पेश कर अपीलांटस के कथनों की ताहिद की तथा वताया कि अपीलांटगण की माता शहीदा बानो व रेस्पोडेंटस फातमा बानो, हाजरा बानो तीनों सगी वहने है जो मेरे सगे बडे पिता मिसरीया की जायंदा संतान है जो रिश्ते में मेरे बडे पिता की वेटीयां होने से मेरे बहने/नणदे/भुआ लगती है। जिसके विरूद्ध में रेस्पोडेंटस ने कोई दस्तावेजात पेश किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांट शहिदों के वारिसान है जो मिसरे खां की पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश दावे में अपीलांटस को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया जवकि वे आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2017 बअनवान मृतक फातमा बनो के कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मुकाम वगे. बनाम राजस्थान सरकार वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को मूल दावे में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.12.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर